3. उद्देशिका/प्रस्तावना

- बेरूबारी यूनियन वाद (1960) मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग मानने से इंकार कर दिया। किंतु केशवानंद (1973) मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का अंग माना।
- उद्देशिका शक्ति का स्रोत नहीं है। शक्ति का आधार कोई उपबंध ही हो सकता है।
- उद्देशिका विधानमंडल की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का स्रोत नहीं।
- जहां किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है, वहां उद्देशिका का सहारा लिया जाता है।
- **पंथनिरपेक्ष :** राज्य का अपना कोई पंथ या मत नहीं होगा।
- उद्देशिका से ज्ञात होता है कि संविधान किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।
- **गणराज्य :** ऐसा राज्य जहां शून्य से शिखर तक का सभी पद सभी नागरिकों द्वारा प्राप्त किये जा सकते है।
- पंथनिरपेक्ष संविधान के आधारिक लक्षणों में से एक है। बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) मामले में उच्चतम न्यायालय ने आधारिक लक्षण घोषित किया।
- सामाजिक न्याय मूल अधिकार है।
- आर्थिक न्याय का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है।
- भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद का सम्मिश्रण है, जिसका झुकाव गांधीवादी समाजवाद की ओर है।
- उद्देशिका में संविधान का दर्शन नीहित है।
- संविधान के 42वें संशोधन (1976) द्वारा संशोधित यह प्रस्तावना इस प्रकार है- **"हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।"**

<u>प्रस्तावना की प्रमुख बातें</u>

- 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गये।
- प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता यह निर्णय **'यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल'**, 1957 के निर्णय में घोषित किया गया।
- संविधान की प्रस्तावना को 'संविधान की कुंजी' कहा जाता है।
- प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों के केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं।
- प्रस्तावना के लिखित शब्द- "हम भारत के लोग" इस संविधान को 'अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करता हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूची

- **प्रथम अनुसूची:** इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों (28 राज्य) एवं संघ शासित (सात) क्षेत्रों का उल्लेख है।
  - संविधान के 69वें संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है।
- **द्वितीय अनुसूची:** इसमें भारतीय राज-व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान-परिषद् के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि) को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है।
- **तृतीय अनुसूची:** इसमें विभिन्न पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों) द्वारा पद-ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।

- **चौथी अनुसूची:** इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
- **पांचवीं अनुसूची:** इसमे विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
- **छठी अनुसूची:** इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
- **सातवीं अनुसूची:** इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में विवरण दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन सूचियां हैं- **संघ सूची, राज्य सूची** और **समवर्ती सूची।**
  - **संघ सूची:** इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, वर्तमान समय में 99 विषय हैं।
  - **राज्य सूची:** इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है।
  - संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 61 विषय हैं।
  - **समवर्ती सूची:** इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है।
  - समवर्ती सूची का प्रावधान जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है।
  - संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। वर्तमान समय में इसमे 52 विषय है।
- **आठवीं अनुसूची:** इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आठवीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, 1967 ई. में सिंधी को और 1992 ई. में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
- **नौवीं अनुसूची:** संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गयी।
- इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती हैं।
- इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है।
- वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।
- **दसवीं अनुसूची:** यह संविधान में 52वें संधोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है।
- इसमें दल-बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है।
- **ग्यारहवीं अनुसूची:** यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गयी है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
- **बारहवीं अनुसूची:** यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन (1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं।

भारतीय संविधान के विदेशी स्त्रोत

मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।

- **आस्ट्रेलिया:** प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन।
- **ब्रिटेन:** संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि-निर्माण प्रक्रिया।
- **आयरलैंड:** नीति-निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज-सेवा इत्यादि के बारे में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध।
- **कनाडा:** संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास।
- **फ्रांस:** गणतंत्र।
- **जर्मनी:** आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां।
- **रूस:** मौलिक कर्त्तव्यों का प्रावधान।
- **जापान:** विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
- **पूर्व सोवियत संघ:** मौलिक कर्त्तव्य
- **भारत सरकार अधिनियम 1935:** प्रांतों में शक्ति विभाजन, तीनों सूची, आपात उपबंध।